

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-प.2()जविप्रा/वाहन/टैक्सी अनु. बोली/2017-18/डी-

दिनांक-

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्राधिकरण में जयपुर शहर व जयपुर शहर से बाहर जाने के लिए टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने की एक-वर्षीय दर संविदा हेतु बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तें :-

A. तकनीकी योग्यताएँ :-

क्र.सं.	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
1.	बोलीदाता को किसी राजकीय संस्था, विभाग, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन प्रतिष्ठित संस्थान आदि में अनुबन्धित टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने सम्बन्धी पिछले 3 वर्षों वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) में से कम से कम 1 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।	बोली दाता संस्था/विभाग/निगम/बोर्ड /कॉरपोरेशन प्रतिष्ठित संस्थान आदि द्वारा जारी किये गये पिछले तीन वर्षों वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में से कम से कम एक वर्ष का कार्यादेश की छायाप्रति एवं कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
2.	बोलीदाता को किसी बोर्ड, कार्पोरेशन, प्राधिकरण निगम द्वारा RTPP Act 2012 की धारा-7 के अनुसार डिबार एवं डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।	राशि रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर डिबार एवं डिफाल्टर नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
3.	बोलीदाता के पास Excise विभाग, भारत सरकार में सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।	बोलीदाता द्वारा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रतियाँ अथवा Exemption Certificate की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
4.	बोलीदाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	बोलीदाता द्वारा पेन कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
5.	बोलीदाता फर्म का अनुबन्धित टैक्सी वाहन व्यवसाय का पिछले 2 वर्षों में औसतन टर्नओवर 10 लाख रुपये वार्षिक होना चाहिए।	फर्म को पिछले दो वर्षों के टर्नओवर का विवरण तथा Audited final Accounts जिनमें अनुबन्धित टैक्सी वाहन व्यवसाय से आय पृथक से उल्लेखित हो, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित संलग्न करनी होगी।
6.	बोलीदाता के स्वयं/फर्म के नाम से या अनुबन्ध पर (अनुबन्ध न्यूनतम 1 वर्ष के लिये) 5 एसी लग्जरी वाहनों का पंजीकरण होना आवश्यक है।	इस सम्बन्ध में बोलीदाता को आर.सी. की छाया प्रति अथवा अनुबन्ध पत्र के छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

नोट :-उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाता की वित्तीय बोलियाँ ही खोली जावेगी।

B. बोलीदाता को निर्देश :-

1. बोलियाँ ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से **Two Stage (Two Part)** पद्धति तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित खाते में Transfer करना होगा।
3. बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जेडीए की वेबसाइट पर भी पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है।
4. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
5. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
6. बोलीदाता को इस बोली आमन्त्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure A, B, C एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न कर अपलोड करने होंगे।
7. सफल बोलीदाता द्वारा कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि कार्यादेश की वास्तविक लागत का 5%, पंजीकृत लघु उद्योगों (SSI Units) के लिए 1% तथा रूग्ण उद्योगों के लिए 2% का बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 7 कार्य दिवस के भीतर बैंक डी.डी. (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम से देय हो) से जमा करानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कार्य-सम्पादन प्रतिभूति के रूप में किया जा सकेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे RTPP Act के नियमानुसार अधिकतम 3 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
9. संविदा अवधि में सफल बोलीदाता एवं जविप्रा के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
10. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
11. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेंगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29 (2-ज) प्रभावी होगा।

C. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्त :-

1. सफल बोलीदाता को सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार अच्छी कण्डीशन के टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने होंगे। वाहन का मॉडल 2013 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
2. बोलीदाता के पास Service Tax no. होना चाहिए। यदि संस्था Service Tax Exempted है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
3. बोलीदाता को जी शिड्यूल में दिये गये समस्त वाहनों की दरें देना आवश्यक है। यह भी आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे।

4. बोली खुलने के पश्चात् बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता या अनुबन्ध पश्चात् आपूर्ति समय पर नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा, तथा फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
5. सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी। उनके द्वारा किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो अनुबन्ध निरस्त कर अमानता राशि जब्त की जा सकती है।

D. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. बोलीदाताओं द्वारा "जी" शिड्यूल में प्रस्तुत दरों को प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिए न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा, तत्पश्चात् प्रत्येक प्रकार के वाहन के न्यूनतम रहने वाले बोलीदाता की बिड़ न्यूनतम मानी जावेगी। Rajasthan Tranperancy पद Public Procurement Act-2012 and Rules-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
2. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे, सक्षम समिति स्वविवेक के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से कार्य अनुबन्ध कर सकती है। न्यूनतम दरों पर एक अधिक निविदादाताओं का पैनल बनाया जा सकेगा।
3. बोलीदाताओं द्वारा समस्त दरें सभी करो, प्रभारो सहित दी जानी चाहिए।
4. सभी दरों को सुपाठ्य एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए, उपरिलेखन एवं कांट-छाट पर स्पष्ट हस्ताक्षर बोलीदाता द्वारा होने चाहिए, दरें अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए। दरें अस्पष्ट होने पर शब्दों में लिखी गई दरों को ही माना जावेगा।

अन्य शर्तें/अनुदेश :-

1. प्राधिकरण द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों को लाने ले जाने /जयपुर से बाहर जाने के लिए हेतु एसी/नॉन ए.सी. वाहन (जीप/इण्डिका/जायलो/इनोवा/टवेरा/इण्डिगो/स्वीफ्ट डिजायर) प्रतिदिन किराये पर लेने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है।
2. बोलीदाता को वाहन उपलब्ध कराने की सूचना देने के आधे घण्टे के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
3. सफल बोलीदाता को यथा सम्भव नये वाहन उपलब्ध कराने होंगे। 2013 से पूर्व के मॉडल के वाहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रयोगकर्ता अधिकारी को वाहन संभलाने से पूर्व उपायुक्त (वाहन) प्रकोष्ठ में वाहन का निरीक्षण करवाया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वाहन नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
4. संवेदक द्वारा वाहन निर्देशित समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था संवेदक की Risk and Cost पर कर ली जायेगी तथा अधिक भुगतान की वसूली संवेदक की प्रतिभूति/बकाया बिलो से कर ली जायेगी तथा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

5. सर्विस टैक्स बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। संवेदक को सरकारो/केन्द्रीय सरकार को देय रोड़ टैक्स, आदि का भुगतान स्वयं करना होगा। टोल टैक्स/पार्किंग का भुगतान बिल के साथ भुगतान की रसीदे संलग्न करने पर प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
6. डीजल/पैट्रोल/ऑयल/चालक/मेन्टीनेन्स एवं चालक आदि का पूर्ण व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। चालक को निर्धारित वर्दी में रहना आवश्यक होगा। वाहन में किसी तरह की टूट-फूट या दुर्घटना के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। वाहन का चालान होने पर अनुबन्धकर्ता उत्तरदायी होगा।
7. वाहन से संबंधित पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण-पत्र/बीमा (प्रथम पार्टी) वाहन मालिक के नाम से होना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेजों को वाहन अनुबन्ध पर लगाने से पहले पूर्ण करने का उत्तरदायी अनुबन्धकर्ता का होगा।
8. वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की फोटो प्रति, नाम, पता, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर का विवरण, पंजीयन, रोड़ टैक्स, फिटनेस, बीमा के दस्तावेज उपयुक्त (वाहन) को देना होगा। अनुबन्धकर्ता वाहन चालक के व्यवहार एवं कार्य के लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा। वाहन चालक प्राधिकरण की ड्यूटी के दौरान मर्यादित आचरण करेगा तथा किसी अवांछनीय गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
9. वाहनों के किराये के बिल, लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप सहित सम्बन्धित नियंत्रक/प्रयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित कराके वाहन प्रकोष्ठ में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
10. न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिये प्राधिकरण बाध्य नहीं है। प्राधिकरण नियमानुसार स्वीकृत दरों पर सफल बोलीदाता के साथ-साथ अन्य समस्त तकनीकी योग्यता की पूर्ति करने वाले बोलीदाताओं से भी अनुबन्ध कर सकता है। एक से अधिक बोलीदाताओं से अनुबन्ध करने पर अनुपातिक प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। बोली स्वीकार करने के संबंध में सचिव, जविप्रा का निर्णय सभी को मान्य होगा।
11. किसी भी विवाद के संबंध में सचिव जविप्रा का निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा तथा न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
12. अनुबन्ध की अवधि दोनो पक्षों की सहमति से RTPP Act 2012 नियम 2013 के प्रावधानानुसार बढ़ायी जा सकेगी।
13. सचिव जविप्रा द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निविदादाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
14. सफल निविदादाता को दर अनुमोदित करने से 7 दिवस (कार्य दिवस) की अवधि में अनुबन्ध रूपयें 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
15. निविदादाता किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर निविदा निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
16. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 and Rules-2013 प्रावधानों के तहत इस निविदा के साथ संलग्न Annexure-A, B & D बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर

प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। एक्ट की धारा-38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या-1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

17. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण वाहन शाखा से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने/Portal पर अपलोड करने के 4 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना-पत्र सदस्य सचिव, क्रय समिति कमरा नं० 5 जविप्रा, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन SPP Portal/ JDA Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47)
18. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 and Rules-2013 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
19. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 ds section-38 के तहत कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी सचिव, जविप्रा, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी आयुक्त जविप्रा, जयपुर है। (अपील प्रारूप Annexure-C एवं Form-I के रूप में संलग्न है)।
20. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रुपये 2500/- है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी के सक्षम अपील करने हेतु फीस रुपये 10000/- निर्धारित है।
21. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 80(2) में वर्णित सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करना होगा।
22. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81(3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में संलग्न Annexure-A पर हस्ताक्षर कर बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।
23. बोलीदाता को संलग्न Annexure-B के अनुसार एक घोषणा पत्र बोली के साथ सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा।
24. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 में वर्णित प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस निविदा हेतु प्रासंगिक हो जविप्रा एवं सफल निविदादाता द्वारा मान्य होंगे।
25. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित दरों में वृद्धि का प्रस्तावित स्वीकार नहीं किया जावेगा। कीमतों में कमी के सन्दर्भ में Rajasthan Tranperancy in Public Procurement Act-2013 का नियम संख्या 29 (2ज) प्रभावी होगा।

26. किसी भी बोली को बिना कारण बताये बोली को निरस्त करने का अधिकार सचिव, जविप्रा, को होगा।

27. उपरोक्त शर्तें मैंने पढ़ और समझ ली हैं। मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:—.....

पता:—.....

.....

मोबाइल / दूरभाष:—.....

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वित्तीय प्रपत्र वर्ष 2017-18

(दरें संलग्न शर्तों को पढ़कर कर अंकित करें)

जयपुर शहर के लिए दर						जयपुर से बाहर जाने के लिए दर						
क्र. सं.	वाहनो प्रकार	जयपुर के लिए दर 100 किलोमीटर तक एवं 8 घण्टे की दर प्रतिदिन		जयपुर शहर में 100 किलोमीटर से अधिक चलने पर तथा 8 घण्टे से अधिक होने पर दर प्रति घण्टे		अन्य विशेष विवरण	क्र. सं.	वाहनो प्रकार	का	दर (जयपुर से बाहर जाने वाले वाहनो को न्यूनतम 250 किलोमीटर के चार्ज देय होंगे)	रात्रि विश्राम चार्ज (प्रति रात्रि)	अन्य विवरण
		नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.							
1.	इण्डिका						1.	इण्डिका				
2.	इण्डिगो						2.	इण्डिगो				
3.	बोलेरो						3.	स्विफ्ट				
4.	स्विफ्ट						4	स्विफ्ट डिजायर				
5	स्विफ्ट डिजायर						5.	लॉगान				
6	इनोवा						6.	टवेरा				
7	टवेरा											

उपाध्यक्ष (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

8 जायलो										7. इनोवा					
9. महिन्द्रा एस.यू. वी. 500															
10 बस ए.सी. 25 सीटर माईक लगी हुई															
11 बस ए.सी. 35 सीटर माईक लगी हुई।															
12 बस टेम्पू ट्रेवल्स										8. महिन्द्रा एस. यू. वी. 500					

नोट:-दरें शब्दो एवं अंको में मय सर्विस टैक्स अंकित की जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

उपस्थित (वाहन)
ज.वि.प्र., जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

FORM No. 1
[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer / authority
who passed the order (enclose copy), or a
statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative:**

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an
affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.